

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/79/2016/10-11/9/2861

भोपाल, दिनांक 24-8-21

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग,
जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:-जबलपुर जिले के अंतर्गत हिरन मीडियम टैंक प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 54.87 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल का आदेश दिनांक 08.01.2021

--0--

विषयांकित हिरन मीडियम टैंक परियोजना मे व्यपवर्तित वनभूमि के एवज मे प्राप्त गैर वनभूमि के फैंसिंग कार्य हेतु संदर्भित आदेश से वर्ष 2020-21 मे राशि 89.00 लाख रुपये बी. सी.ओ. क्रमांक 1003 से उपलब्ध करवाई गई थी। किन्तु उक्त राशि उपयोग न होने के कारण लैप्स हो गई है। जिस कारण फैंसिंग कार्य नहीं किया जा सका है।

अतः भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त क्रमांक (iii) एवं 2(iv) के पालन हेतु गैर वनभूमि के फैंसिंग कार्य के लिए राशि रुपये 88,64,937/- को एड-हॉक कैम्पा में ई-पोर्टल के माध्यम से शीघ्र जमा कराई जावें, या इसकी राशि बी.सी.ओ. क्रमांक 1003 मे उपलब्ध करवाई जावें।


24/8/21
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/79/2016/10-11/9/2862

भोपाल, दिनांक 24-8-21

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसीनगर (1250) भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षे.) जबलपुर वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


24/8/21
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल